

Pratibha  
Revalidation  
Revised Plan

**मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण,  
विकास के लिये स्वीकृति पत्र**

संख्या-180/मु0वि0प्र0/मानचित्र संख्या- BF/MH/VC/151(06-07)/14-15 दिनांक 11-08-2014 मैसर्स पार्श्व नाथ डेवलपर्स लि0 नि0-छटा तल अरुणाचल बिल्डिंग बाराखम्बा रोड, दिल्ली ।

आपको सूचित करना है कि भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. इस मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका मु0वि0प्र0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता यदि प्रभावित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. वाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो।
7. बजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटेरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसिफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा वैक लैन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. नचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
12. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से बचने के लिये नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम को किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण-पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।
15. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
16. भवन का पानी नाली में ही जाये, सड़क पर न फैले। प्रार्थी को इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
17. जना में 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर की दर से लगाना होगा।
18. मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा लगायी शर्तों का पालन करना होगा।
19. समस्त निर्माण कार्य एन0बी0सी0-2005 के अनुसार पूर्ण करना होगा।
20. पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उपयोग में नहीं किया जायेगा।
21. जलापूर्ति-पानी की व्यवस्था ट्यूब बैल तथा स्टोरेज टैंक द्वारा न्यूनतम मापक 165 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
22. ड्रेनेज का निस्तारण मार्ग पर उपलब्ध नाले में करना होगा।
23. विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित मांग के सापेक्ष विद्युत हेतु उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लि0 की सहमति प्राप्त करनी होगी।
24. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम हेतु भवन के डिजाइन में पाईपों का प्राविधान एवं छत पर संयंत्र उपयुक्त स्थान पर लगाया जायेगा।
25. प्रार्थी के द्वारा प्रत्येक दशा में भवन निर्माण पूर्ण करके प्राधिकरण से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करके भवनों के कब्जे आवंटियों को सौंपे जायेंगे।
26. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य नगर नियोजक,  
मुख्य नगर नियोजक,  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद।